लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3377
उत्तर देने की तारीखः 16.03.2021

अ.जा. के छात्रों की छात्रवृत्ति में धोखाधड़ी

3377. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब में अ.जा. श्रेणियों के गरीब छात्रों के लिए अनुसूचित जाति (अ.जा.) छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित राशि में करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी और 2400 करोड़ रुपये के विपथन संबंधी मीडिया में प्रकाशित कथित धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घोटाले का संज्ञान लिया है और कोई कार्रवाई शुरू की है ताकि अ.जा. समुदायों के छात्रों की सहायता के लिए निर्धारित की गई धनराशि का पंजाब राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गबन नहीं किया जा सके; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विशेष रूप से पंजाब में अनुसूचित जाति की श्रेणियों से संबंधित गरीब छात्रों को अनुसूचित जाति (एससी) छात्रवृत्ति के लिए आबंटित 2400/- करोड़ रूपए की कथित गड़बड़ी और विपथन के बारे में कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, अगस्त, 2020 में इस विभाग को पंजाब राज्य में वर्ष 2016-17 की अवधि हेतु एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत संवितरण हेतु निधियों के कथित गबन से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है।

इस विभाग ने, शिकायतों की गंभीरता पर विचार करते हुए, निजी संस्थाओं को किए गए अनुचित भुगतानों एवं अन्य अपाहरणों के विभिन्न आरोपों की जांच करने तथा इस मामले में आगे की कार्रवाई हेतु सिफारिश करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

हाल ही में, इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, समयबद्ध सुपुर्दगी, व्यापक जवाबदेही, सतत निगरानी तथा संपूर्ण पारदर्शिता के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। कुछ निम्नलिखित विशिष्टताएं शामिल हैं :-

- वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय शेयर डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में सीधे जारी किया जाएगा।
- इस स्कीम को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से युक्त एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर चलाया जाएगा जिससे छात्रवृत्तियों के दुरूपयोग की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस स्कीम के बारे में ग्राम पंचायतों, नोटिस बोर्डों, विद्यालय समितियों तथा माता-पिता व अध्यापक एसोसिएशन बैठकों की चर्चाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा ताकि किसी दुरुपयोग की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

******